

23-10-20 वकील प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 09 व द्वारा 15। जा. पी. 8 का पेश किया। न्यायक्षेत्र में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया। प्रकरण को पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी को जरिए नोटिस जारी किया गया। कार्रवाई पत्रावली में उभयपक्षों की बहस हेतु नियत दिनांक 29-10-20 को पेश हो

29-10-20 पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, पैरोकार सरकार उपस्थित, उभयपक्षों ने बहस करना चाही, उभयपक्षों की बहस सुनी गयी, बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की इस्तुअ की। जब कि पैरोकार सरकार ने जवाबदावा एवं साथ ही पैरोकार सरकार ने बयान किया कि वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र पूर्व दिनांक 11-9-20 को अदम हाजरी / अरम पैरवी में खारीज होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रम भी दृष्टा दिया गया है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

मैंने उभयपक्षों की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया तथा जवाबदावे का अवलोकन किया गया। साक्ष्यों से प्रश्नगत भूमि जिला नाम रिकार्ड दर्ज है जिस पर प्रार्थी का प्रथम दुष्टया मामला नहीं बनता है और नहीं सुविध संतुलन अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में साबित होती है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 R-T-M अस्था निषेधाज्ञा का खारीज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 R-T-M अस्था निषेधाज्ञा का खारीज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर मूल वादपत्र के साथ संलग्न हो।

जयखण्ड अधिकारी
मंडल जिला



23-10-20

वकील प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 09 बंधारा 151 प्रा. वि. का पेश किया। न्यायस्थ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया। प्रकरण को पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी को जरिए मोटिस जारी किया गया। वास्ते पत्रावली में उभयपक्षों की बहस हेतु नियत दिनांक 29-10-20 को पेश हो।

24-10-20

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, पैरोकार सरकार उपस्थित, उभयपक्षों ने बहस करनी चाही, उभयपक्षों की बहस सुनी गई, बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की अस्तुति की। जब कि पैरोकार सरकार ने अवापदावा एवं साथ ही पैरोकार सरकार ने वयान किया कि वादपत्र व प्रार्थना पत्र पूर्व दिनांक 11-9-20 को अदम हाजरी/अदम पैरवी में स्वारीज होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि पर आतिक्रमण भी करा दिया गया है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वारीज फरमाया जावे।

मैंने उभयपक्षों की बहस सुनी जाकर बहस पर मन्न किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया तथा अवापदावे का अवलोकन किया गया। साक्ष्यों से प्रश्नगत भूमि विलानाम रिकार्ड दर्ज है जिस पर प्रार्थी का प्रथम इष्टया मामला नहीं बनता है और वही सुविधासंतुलन, अप्ररणीय झारि प्रार्थी के पक्ष में स्थापित होती है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 R-T.A. अस्थाई निषेधाज्ञा का स्वारीज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 R-T.A. अस्थाई निषेधाज्ञा का स्वारीज किया जाता है। पत्रावली जिसमें शुमार होकर मूल वादपत्र के साथ संलग्न है।

उपखण्ड अधिकारी

मॉडल सिविल पीनवाडा